हिन्दू पुत्र

पंजीयन संख्या :-BHR201704005784M/28.04.17

प्रधान कार्यालय :-हिन्दू राष्ट्र भवन अदलपुर, हरिपुर (हाजीपुर),वैशाली, बिहार

संगठन का संबिधान

नाम

संगठन का नाम "हिन्दू पुत्र"होगा (आगे "संगठन"शब्द से यही बोध होगा)

उद्देश्य

संगठन हिन्दू धर्म तथा गो-वंश की रक्षाके लिए प्रतिज्ञाबद्ध है, जो सुदृढ , समृद्ध एवं स्वावलंबी हिन्दू धर्म की स्थापना कर सके | हम अपने सनातन धर्म की गतिविधियों का संचालन करने के प्रति दृढसंकल्पित है यह संगठन पुर्णतः गैर राजनीतिक है |

मूल दर्शन

सर्व विजय हिन्दू पुत्र राष्ट्र धर्म आराधनासंगठन का मूल दर्शन होगा|

संगठन का स्थापना दिवस बैशाख अक्षय तृतीया को मनाया जाएगा |

संगठन का मूल उद्घोष

जय श्री राम का नारा है |

हिन्दुस्तान हमारा है ||

कार्यक्रम की शुरुआत गायत्री मंत्र के साथ किया जायेगा |

पदाधिकारी के पद कि स्वीकृतियां तीन वारॐ के उच्चारण के साथ किया जाएगा |

झंडा

संगठन का झंडा केसरिया रंग का दो तिकोंना होगा जिसके बीच में बाघ धर्म ध्वज थामे तथा नीचे संगठन का नाम रहेगा |

सदस्यता नियम

- संगठनपुर्णतःहिन्दूलोगोकेलिएहैगैरहिन्दूप्रवेशवर्जितहै|
- गैर हिन्दू के घर खाना तथा गैर हिन्दू को घर में खिलाना वर्जित है |

- अपने त्योहारों में गैर हिन्दू को शामिल करना तथा खुद को गैर हिन्दुओ के त्योहारों में खुद को शामिल करना वर्जित है |
- प्रतिदिन स्नान करना तथा तिलक लगाना अनिवार्य है |
- शिखा रखना अनिवार्य है |
- रक्षा सूत्र बांधना अनिवार्य है |
- सदस्यों के घर में गंगाजल ,तुलसी ,रामायण तथा गीता अनिवार्य रूप से होना चाहिए |
- उनके घर में महाराणा प्रताप या किसी हिन्दू महापुरुष का चित्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए |
- भगवा वस्त्र रखना अनिवार्य है |
- प्रतिदिन गाय के लिए रोटी निकलना अनिवार्य है |
- महीना में एक दिन गैर कुटुम्ब को खाना खिलाना अनिवार्य है |
- किसी भी पर्व त्योहार में निर्धन बस्ती में कुछ समय बिताना अनिवार्य है |
- प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रतिदिन ॐ नमो भगवते वासुदेवाय या ॐ नमः शिवाय का कम से कम ग्यारह बार उच्चारण करना अनिवार्य है |
- गायत्री मंत्र का याद होना अनिवार्य है |
- कार्यकर्ताओ तथा पदाधिकारियो के आपस में मिलने गला से लगाना अनिवार्य है |
- संगठन के कार्यकर्ताओ का महिना में दो वार हरिजन बस्ती का दौरा कर हाल-चाल जानना अनिवार्य है |

संगठन के कार्य

- हिन्दूलॉबोर्डकागठन
- गौसंवर्धनअधिनियम
- रक्तदानकीव्यवस्था
- वृक्षारोपण
- नशाउन्मूलन
- हिन्दूसमाजमेंसद्भावनाजागृतकरनेकाप्रयास
- भारतीयसंस्कृतिकेसंरक्षणकेप्रयास
- हिन्दूसमाजकेउत्थानकेलिएशासनएवंप्रशासन सेहिन्दूविचारकासमायोजन
- हिन्दुओंकोतकनीक़ी,साहित्यिक,शास्त्रिक, तरीकेसेमज़बूतबनाना ।।
- समयसमयपरसांस्कृतिककार्यक्रम, हिन्दूउत्थानगोष्ठी, जनसभा,एवंबैठकोंका आयोजनकरना
- गरीबलड़कियोंकीव्याहकरवाना
- प्रौढ़शिक्षा,अनौपचारिकशिक्षा,विज्ञानशिक्षा,व्यावसायिकशिक्षा,कृषिशिक्षा,प्रतियोगिता में प्रवेशकीशिक्षानिःशुल्कदिलानेकीव्यवस्थाकरना ।
- जनहितार्थ, धर्मार्थ,चिकित्सालय,अनाथालय,छात्रावास,विधवाश्रम,व्यायामलय,आदिकानिःशुल्कसंचालनकी व्यवस्था करबाना ।
- जागरूकताशिविरोंकेमाध्यमसेगंभीरबीमारियोंऔरसमाजमेव्याप्तकुरीतियोंसेहिन्दुओंमेंजागरूकतालाने केप्रयासकरना।

- गौसेवा व उपचारकेलिएकेंद्रकागठन।
- केंद्रएवंराज्यसरकारकेसभीविभागोंकेजनउपयोगीपरियोजनाओंसेहिन्दूसमाजकोलाभान्वितकरवाना।

संगठन के संचालन के नियम

- मुख्य संरक्षक राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नही होंगे,लेकिन वो जब चाहे राष्ट्रीय एवं प्रदेश की बैठक आहूत कर सकते है,विशेष परिस्थितियों में बिना किसी सूचना अथवा किसी के परामर्श के बिना स्वंय ही किसी भी पद एवं कार्यकारिणी को भंग अथवा नवीन पद एवं कार्यकारिणी का गठन कर सकते हैं।
- संगठन के गरिमा के विरुद्ध आचरण, आर्थित अनिमियतता पाए जाने पर राष्ट्रीय कमिटी के अध्यक्ष,संयोजक,कोषाध्यक्ष, सन्गठन मंत्री,संगठन महामंत्री,को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा एवं प्रदेश से सम्बंधित कमिटी के अध्यक्ष,संयोजक,कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री,संगठन महामंत्री,को प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करवाकर उनके कार्यकाल पूर्ण होने पूर्व भी पद से हटाया जा सकताहै,ऐसी स्थिति में उप एवं सह पदधारी में से कार्यकारिणी किसी को पद के संचालन की भूमिका दे सकती है।
- राष्ट्रीय एवं प्रदेश अध्यक्ष को अपरिहार्य स्थिति में संगठनमंत्री के साथ मिलकर कार्यकारिणी भंग करने का अधिकार है,परंतु इसके लिए प्रदेश के लिए राष्ट्रीय संरक्षक एवं जिला के लिए प्रदेश संरक्षक एवं प्रखंड के लिए जिला संरक्षक की सहमति लेने के साथ ही उचित कारण प्रस्तुत करना होगा।
- संस्था के वरिष्ठ पद जिसमे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं प्रदेशों की कार्यकारणी के सभी पद निहित है,किसी भी व्यक्तिको नियुक्ति के पूर्व सम्बंधित पदादिकारी को स्वयं या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा,जिसे मुख्य संरक्षक/अध्यक्ष/संयोजक की अनुमति से संगठन मंत्री जांरी करेगा।
- सम्बंधित कार्यकारिणी के किसी भी सदस्य को जो कि संस्था के प्रचार एवं प्रसार में तथा संगठन को मज़बूत करने में रुचि नही रखता हुआ पाया जाएगा,ऐसे पदाधिकारी को संस्था राष्ट्रीय अध्यक्ष /प्रदेश अध्यक्ष/जिला अध्यक्ष/की अनुशंषा पर उस पद से सम्बंधित कार्यकारिणी के इनमे से (राष्ट्रीय/प्रदेश/जिला) जो भी सम्बंधित संरक्षक हो उस पदधारी व्यक्ति को कार्यकारिणी से बाहर कर सकते हैं।परंतु उनकी संगठन की मानक सदस्यता बनी रहेगी।
- किसी भी पदाधिकारी को निष्कासित करने का अंतिम निर्णय कार्यकारिणी में बहुमत के आधार पर,उस पदादिकारी के तथ्य को सुनने के बाद लिया जाएगा।
- विशेष परिस्थितियों में जबकि ऐसे पदादिकारी किसी भी तरह की मनमानी/गलत आचरण/आर्थिक अनियमितता एवं असंवैधानिक कार्यों में संलिप्त या न्यायालय द्वारा अभियोजित पाए जाएंगे उनको पूर्ण रूप से पदमुक्त करने का निर्णय संस्था के सम्बन्धित कार्यकारिणी के सदस्य संयुक्त रूप से संरक्षक की सहमति से लेंगेऔर इसको मानना सभी के लिए बाध्य होगा।
- ऐसे पदाधिकारी या कार्यकर्ता जो की किसी भी पदाधिकारी या सामान्य कार्यकर्ता को अपमानजनक भाषा का प्रयोग या संबोधन करेगा उसको अनुसाशन सबल समिति द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने पर अनुशासन समिति को मौखिक या लिखित जवाब देना ही होगा।

- ऐसे पदाधिकारी या कार्यकर्ता को जो कि संस्था को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार की हानि या छति पहुंचाने का दोषी पाया जाएगा,उसको संस्था की अनुशासन सबल समिति के निर्णय को मानना बाध्यकारी होगा,जिसमे निष्कासन भी शामिल हो सकता है।
- संस्था के समस्त सम्मानित पदादिकारी व सामान्य कार्यकर्ता को संस्था के बनाये गए नियमों का पालन करना बाध्यकारी होगा।
- संस्था की किसी भी सूचना को जो कि,संस्था के लिहाज से गोपनीय हो,बाहर भेजना या लीक करना अनुसानहीनता के दायरे में माँना जायेगा,ऐसी स्थिति में संस्था द्वारा निर्धारित किये गए दंड का वह व्यक्ति/कार्यकर्ता/ पदाधिकारी स्वयं भागी होगा।
- किसी भी प्राधिकारी अथवा कार्यकर्ता को किसी भी आंदोलन में संगठन के पदाधिकारी को सूचित किए बिना अथवा बिना अनुमति के स्वयं उपस्थित हो जाना संगठन के मानक मापदंड के विरुद्ध होगा जिसके लिए संगठन उत्तरदाई नहीं होगा।
- पोस्टर/बैनर में मुख्य संरक्षक/संयोजक/राष्ट्रीय अध्यक्ष/संगठन मंत्री/प्रदेश अध्यक्ष/ कार्यक्रम संयोजक की तस्वीर लगाना अनिवार्य होगा,ऐसा न करना अनुशासन हीनता के दायरे में आएगा।
- किसी भी सामान्य कार्यकर्ता या पदाधिकारी से नियुक्ति के पूर्व उसकी पूरी जानकारी लेना/देना अनिवार्य होगा,नियुक्ति पत्र प्रदत्त पदाधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा निर्गत होने पर ही मान्य होगा।
- नियुक्ति पत्र जारी होने से पूर्व फ़ोटो id जांरी किया जाना अनिवार्य होगा,जिसको की संस्था के संबंधित राष्ट्रीय प्रदेश जिला कार्यालय अभिलेख में रखा जाएगा।

सोशल मीडिया सम्बंधित नियम

- संस्था के नाम से संचालित watsappऔर facebookग्रुप में संस्था से सम्बंधित पोस्ट ही किये जायेंगे ।

विशेष

- सोशल मीडिया के इन कार्यों में जो भी गलती करता हुआ पाया जाएगा,उसको सोशल मीडिया टीम अनुशासन सबल समिति के समक्ष रखेगी,अनुशासन सबल समिति का निर्णय मानना बाध्य होगा।

बैठकों की कार्य संचालन की प्रक्रिया

- संस्था के जिलाध्यक्ष,प्रखंड अध्यक्ष,प्रदेश अध्यक्ष,राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी उपलब्ध होगा,वो अपने जिले में अध्यक्षता करेंगे।
- महामंत्री/संगठन मंत्री बैठक की कार्यवाही को एक जगह रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाके लिपिबद्ध करेगा।
- संस्था की बैठक कार्यालय प्रांगण में या सम्बंधित राष्ट्रीय,प्रदेश,जिला, प्रखंड संगठन मंत्री द्वारा निर्धारित स्थान पर की जाएगी।

❖ कार्यक्रम के बैठक में ही अगले बैठक की तिथि सुनिश्चित कर दी जाएगी जाएगी यह अनिवार्य होगा।

संगठनात्मक ढाँचा

➢ संगठनमेंराष्ट्रीयस्तर पर पदाधिकारी होंगे:-

1 एक संरक्षक
2 एक संयोजक
3 सात सह संयोजक
4 एक अध्यक्ष
5 सात उपाध्यक्ष
6 एककोषाध्यक्ष
7 एक संगठन महामंत्री
8 तीनसंगठन मंत्री
9 तीन प्रवक्ता
10 पांच मिडिया प्रभारी
11 एक प्रचार प्रसार प्रमुख/व्यवस्था और संपर्क प्रमुख
12 एक कार्यालय प्रभारी
13 एक कार्यक्रम प्रभारी
14 तीन विधिक प्रभारी
15 पांच प्रचारक

➢ प्रदेश स्तर पर पदाधिकारी होंगे :-

1 एक संरक्षक
2 एक संयोजक
3 सात सह संयोजक
4 एक अध्यक्ष
5 सात उपाध्यक्ष
6 एक कोषाध्यक्ष
7 एक संगठन महामंत्री
8 तीनसंगठन मंत्री
9 तीन प्रवक्ता
10 पांच मिडिया प्रभारी
11 एक प्रचार प्रसार प्रमुख/व्यवस्था और संपर्क प्रमुख
12 एक कार्यालय प्रभारी
13 एक कार्यक्रम प्रभारी
14 तीन विधिक प्रभारी
15 पांच प्रचारक

➢ जिला स्तर पर ग्यारह पदाधिकारी होंगे :-

1 एक संरक्षक
2 एक संयोजक
3 सात सह संयोजक
4 एक अध्यक्ष

5 सात उपाध्यक्ष
6 एक कोषाध्यक्ष
7 एक संगठन महामंत्री
8 तीनसंगठन मंत्री
9 तीन प्रवक्ता
10 पांच मिडिया प्रभारी
11 एक प्रचार प्रसार प्रमुख/व्यवस्था और संपर्क प्रमुख
12 एक कार्यालय प्रभारी
13 एक कार्यक्रम प्रभारी
14 तीन विधिक प्रभारी
15 पांच प्रचारक

- **प्रखण्ड स्तर परपदाधिकारी होंगे:-**

1 एक संरक्षक
2 एक संयोजक
3 सात सह संयोजक
4 एक अध्यक्ष
5 सात उपाध्यक्ष
6 एक कोषाध्यक्ष
7 एक संगठन महामंत्री
8 तीनसंगठन मंत्री
9 तीन प्रवक्ता
10 पांच मिडिया प्रभारी
11 एक प्रचार प्रसार प्रमुख/व्यवस्था और संपर्क प्रमुख
12 एक कार्यालय प्रभारी
13 एक कार्यक्रम प्रभारी
14 तीन विधिक प्रभारी
15 पांच प्रचारक

- **पंचायत स्तर पर पदाधिकारी होंगे :-**

1 **एक संरक्षक**
2 **एक अध्यक्ष**
3 **एक महामंत्री**
4 **एक संगठन मंत्री**

- किसी भी राजनीतिक पार्टी के सदस्य संगठन के सदस्य होंगे,पर पदाधिकारी नहीं बन सकते है|
- राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियो का कार्यकाल पांच (5) वर्षो तथा प्रदेश , जिला , प्रखण्ड तथा पंचायत स्तर के पदाधिकारियो के लिए तीन(3) वर्षो के लिए होगा| संगठन के बिरुद्ध पाए जाने पर उन्हें अपने सफाई का एक मौका दिया जायेगा ,संतोषजनक उत्तर नहीं पाए जाने पर उन्हें तत्काल पदमुक्त कर दिया जायेगा|

पदाधिकारी के कार्य

संरक्षक के कार्य

1. संगठन के अंदर की सभी कार्यवाही की जिम्मेदारी के साथ पूरा करना |
2. सभी कमिटि के ऊपर निगरानी रखना तथा विशेष परिस्थितियों में किसी भी कमिटि को भंग करके नयी कमिटि गठन के लिए अध्यक्ष को दिशा- निर्देश करना |
3. कोषाध्यक्ष के साथ मिलकर संगठन के वित्तीय लेनदेन की जानकारी रखना तथा बैंक से लेनदेन का कार्य कोषाध्यक्ष के साथ मिलकर करना |
4. संगठन के आतंरिक एवं बाह्य सभी कार्यो का समीक्षा करना तथा संगठन के हित के लिए किसी भी निर्णय को बिना किसी के हस्तक्षेप के निर्णय लेना |
5. संगठन के संरक्षक होने के नाते श्री राजीव ब्रह्मर्षि को विशेष स्थिति में संगठन के किसी भी कमिटि को भंग,गठन तथा बहाल रखने का विशेषाधिकार होगा|
6. संरक्षक ही राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के सचिव होंगे |

संयोजक/सह संयोजक के कार्य

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यक्रमों की अध्यक्षता करना |
2. सम्बंधित कमिटी के सभी पदाधिकारियों का कार्य मूल्यांकन करना |
3. संगठन मंत्री को संगठनात्मक बैठक के लिए समय समय पर संपर्क करना |
4. संगठन से सम्बंधित सभी त्याहारों और स्थापना दिवस की तैयारी कराना |

अध्यक्ष के कार्य :-

1. **संगठन की सम्बंधित सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।**
2. **बैठक में सभी आवश्यक कागजात संगठन के संयोजक के साथ तैयार करावाना,अपना पैड बनवाकर उनपर सबको नियुक्ति देना ।**
3. **संस्था की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों की सदस्यता को स्वीकृत या अस्वीकृत करना।**

उपाध्यक्ष के कार्य:-

1. अध्यक्ष के साथ मिलकर कार्यो का क्रियान्वयन करना |
2. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकर्मो कि अध्यक्षता करना |

संगठन महामंत्री/मंत्री के कार्य :-

1. अध्यक्ष को प्राप्त प्रस्तावित सूची को अध्यक्ष से प्राप्त करके उसे संयोजक से हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत करना |
2. संगठन महामंत्री को संयोजक तथा अध्यक्ष के साथ मिलकर कमिटि गठन करने का अधिकार होगा |
3. संगठन के कार्यक्रमों को अपने स्तर से तय करने का अधिकार होगा |
4. मिडिया प्रभारी से प्राप्त संगठन से सम्बंधित खबरों पर नजर रखना|
5. **संस्था में कहां रिक्त पद है कैसे भरना है,अध्यक्ष की अनुमति से इसे करावाना संगठन मंत्री व महामंत्री का कार्य है।**
6. **किसी भी व्यक्ति के नियुक्ति व निष्कासन के लिए अनुशासन सबल समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने का अधिकार संगठन मंत्री को है।**
7. **संगठन को बढ़ाने के लिए सुझाव बैठकों में संगठन मंत्री/महामंत्री द्वारा रखे जाएंगे।**

8 अध्यक्ष के निर्देशानुसार संस्था के लिए आवश्यक पत्र आदि तैयार करना।

9 समस्त पत्रावली और रजिस्टर,नियुक्ति, निष्कासन इत्यादि सुरक्षित रखना तथा अध्यक्ष द्वारा मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करना।

10 समय समय पर संस्था की प्रगति और कमियाओं को अध्यक्ष को बताते रहना ।

प्रवक्ता के कार्य :-

1 कार्यक्रम से सम्बंधित विषयो को अध्यक्ष तथा संयोजक के बीच रखना |

2 अध्यक्ष तथा संयोजक के बीच के वार्ता को संगठन के सभी सदस्यों के बीच रखना |

3 प्रवक्ता किसी भी संगठन का आईना होते है,कोई भी मीडिया वकतव्य,गोश्ठी और कार्यक्रम में संस्था की जानकारी और कार्यों को समाज के बीच रखना।

विधिक सलाहकार के कार्य :-

1 संस्था के अपने कार्यक्षेत्र में आने वाली सभी कानूनी प्रक्रियाओं को संचालित करावाना,संस्था का मार्गदर्शन करना तथा विधिक सलाहकारों को अधिक से अधिक अपने साथ जोड़ना।

2 संगठन से सम्बंधित सभी कानूनी कार्यो का व्योरा रखना तथा संगठन के कार्यकर्ताओं के संगठनात्मक कानूनी विवादों में उनका पक्ष न्यायालय रखना |

छात्रसंघ संयोजक

1 विद्यालय विश्वविद्यालय से संबंधित छात्र-छात्रायों को छात्र संघ से जोड़ना, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित लोगों को जोड़ना।

2 विद्यालयों महाविद्यालय छात्रावास से संबंधित लोगों को बैठक करके संस्था में जुड़वाना।

3 शिक्षा के स्तर को अच्छा करने,गुरुकुलों की स्थापना इत्यादि के लिए प्रयास कराना।

प्रचारक/विस्तारक

1 अध्यक्ष की अनुमति से संस्था का विस्तार करना।

2 अन्य संगठनों की कार्यशैली और कार्यक्षेत्रों में बेहतर प्रयास करने वाले पदाधिकारियों पर नजर रखते हुए उनसे सीखना तथा उनपर नज़र रखना।

शोभायात्रा एवं कार्यक्रम प्रभारी

1 संस्था के अध्यक्षों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम व संगठन को आगे बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण लोगो की नियुक्ति इत्यादि करावाना, इनका कार्य होगा ।

प्रभारी

1 संस्था की नियुक्ति कहां अपूर्ण है,कहां किसकी नियुक्ति होनी चाहिए इसको अध्यक्ष को बताना।

2 प्रभारी को पूर्ण अधिकार है कि वो जिलाध्यक्ष की अनुमति से संस्था की बेहतरी के लिए कोई कार्य बैठक में रख सकता है।

अनुशासन सबल समिति

1 किसी भी व्यक्ति के द्वारा अनुशासनहीनता होने पर सीधे सीधे निष्कासित नही करना है,शिकायत को अनुशासन सबल समिति के प्रमुख के समक्ष रखा जाएगा,अनुशासन सबल प्रमुख सम्बंधित राष्ट्रीय/प्रदेश/जिला अध्यक्ष से चर्चा करके संरक्षक को सूचित करेंगे और जो भी निर्णय होगा उसका आदेश संगठन मंत्री जारी करेगा।

मीडिया प्रभारी

1 संस्था की बैठकों,कार्यक्रमो,संगोष्ठी, प्रिंट,इलेक्ट्रॉनिक,वेब मीडिया में निकलवाना मीडिया प्रभारी का कार्य है।
2 संस्था किसी न किसी कार्यवश मीडिया में रहे,इसके लिए उन्हें प्रयास निरन्तर करने होंगे।
3 संगठन की गतिविधियों पर नजर रखते हुए उसे प्रकाशित करने का कार्य करेंगे।
4 संगठन के कार्यक्रमों से सम्बंधित खबरों को मिडिया के बीच रखना |
5 प्रेस को सप्ताह में कम से कम दो खबर आवश्य देना |
6 प्रेसमें देने से पहले खबर से संगठन मंत्री को अवगत कराना |

कोषाध्यक्ष

1 संस्था के समस्त आय व्यय के अभिलेख तैयार करना,अभिलेख पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर करावाना| इनकम टैक्स से संबंधित कागजातों का चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलकर बैलेंस शीट तैयार करवाना और सरकार के समक्ष अपने संगठन का आय-व्यय का ब्यौरा देना।
2 संस्था के आय के स्रोतों को बढ़ाने के उपाय तथा खर्च पर पूरी तरह नजर रखनाएवं राष्ट्रीय अध्यक्ष संरक्षक को अवगत कराना।
3 संगठन के बैंक खाते का संचालन संरक्षक के साथ मिलकर करना।
4 कोषाध्यक्ष व संरक्षक दोनो के हस्ताक्षर से ही बैंकिंग कार्य सम्पादित होंगे।

कार्यालय प्रभारी

1 संगठन के प्रचार,प्रसार और विस्तार के लिए विधिक रूप से परामर्श लेना और कार्यालयों की स्थापना और उनमें सामग्री की व्यावस्था मुख्य रूप से करावाना।
2 संगठन से संबंधित कागजातों का सही से रखरखाव करना।
3 संगठन से संबंधित व्यक्ति का कार्यालय में आने जाने वाले की सूची तैयार करना।
4 संगठन के मेल बॉक्स में आने वाले मेल की जानकारी संबंधित पदाधिकारी को देना।
5 समस्त पादाधिकारियों पर नज़र रखते हुए सुझाव एवं समस्या से मुख्य संरक्षक को अवगत कराना ।

सदस्यों के अधिकार

1 जिले के सभी पदाधिकारियों के कार्यों का आवंटन जिन लोगो को हुआ है,उनके कार्यों की समीक्षा करना तथा अध्यक्ष को अवगत कराना।
2 समाज की संबंधित समस्याओं से अध्यक्ष को अवगत कराना|

विशेष नियम

1 परिस्थिति के अनुसार संगठन के राष्ट्रीय संयोजक को नए पदों के सृजन तथा संगठन के नए प्रकल्पों के गठन का विशेषाधिकार होगा |
2 सभी सदस्यों को नियमो का शत प्रतिशत (पूर्ण रूपेण)पालन करना होगा
3 संरक्षक को नियमो से ऊपर रखा गया है |अतः उनके ऊपर नियमो को मानने की बाध्यता नहीं होगी|
4 प्रखंड तथा जिला कमिटि की बैठक साप्ताहिक होनी चाहिए |
5 प्रदेश कमिटि कि बैठक १५ दिनों पर होनी चाहिए |
6 लगातार तीन बैठक में अनुपस्थित रहने बाले पदाधिकारी को चौथे बैठक में उनके लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जायेगा |उत्तर के साथ पंचमे बैठक में नहीं पहुचने पर उन्हें पद मुक्त कर दिया जायेगा |

संगठन के कार्यक्रम

1 रामनवमी शोभायात्रा :- चैत शुक्ल पक्ष नवमी को मनाया जाएगा |

2 स्थापना दिवस :- वैशाख अक्षय तृतीया को मनाया जाएगा | इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक सामग्री निम्नलिखित है :-

(i) दुर्गामाताकाआशीर्वादमुद्राकाचित्र|

(ii) भगवान्रामकायुद्ध-मुद्राकाचित्र |

(iii) भगवान्श्री कृष्णा का युद्ध-मुद्रा का चित्र |

(iv) भगवान्परशुरामजीकायुद्ध-मुद्रा का चित्र |

(v) महाराणाप्रतापजी महाराज का युद्ध-मुद्रा का चित्र |

(vi) भारतमाताकाचित्र|

(vii) गीता |

(viii) तलवार |

(ix) भगवाध्वज |

3 अखण्ड भारत दिवस :- १४ अगस्त को मनाया जाएगा |

4 कार्तिक पूर्णिमा |

5 रविदास / सबरी माता का जन्मदिन |

6 महाराणा प्रताप महाराज जी की जयन्ती |